

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

रॉची


दिनांक : - 23-7-12

अधि.सं.-01/रथा.रथाना./पद.-11-04/2011-3555/ दिनांक 28.06.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित मुख्य अभियंता(असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से रथानात्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदरथापित किया जाता है।

| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम/<br>आई.डी./ जन्म तिथि/<br>गृह जिला           | वर्तमान पदस्थापन   | नव पदस्थापन स्थान   | अभियुक्ति   |
|---------|---|--|---|---|
| 1       | 2   | 3  | 4   | 5   |
| 1.      | श्री अशोक राम(अ.जा.)<br>3845 / 09.01.63 /<br>हजारीबाग         | मुख्य अभियंता (चा.प्र.)<br>सांस्थिक वित्त एवं<br>कार्यक्रम क्रियान्वयन<br>विभाग                    | मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में<br>सेवा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं<br>परिवार कल्याण विभाग को (श्री<br>सर्जुन चौधरी के दिनांक 31.07.12<br>को सेवानिवृति के उपरांत प्रभावी) | सांस्थिक वित्त<br>एवं कार्यक्रम<br>क्रियान्वयन<br>विभाग से<br>सेवा वापस<br>लेते हुए |
| 2.      | श्री वीरेन्द्र कुमार राम(अ.जा.)<br>3847 / 25.12.66 / सिवान    | मुख्य अभियंता (चा.प्र.)<br>जल संसाधन विभाग,<br>हजारीबाग  | मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में<br>सेवा ग्रामीण विकास विभाग को   |   |
| 3.      | श्री गणेश राम(अ.जा.)<br>3767 / 02.04.60 / कोडरमा              | मुख्य अभियंता (चा.प्र.)<br>सुवर्णरेखा परियोजना<br>ईचा गालूडीह<br>कम्पलेक्स आदित्यपुर<br>(जमशेदपुर) | मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में<br>सेवा सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम<br>क्रियान्वयन विभाग को   |   |
| 4.      | श्री सुरेन्द्र कुमार(अ.ज.जा.)<br>3893 / 26.02.64 /<br>भागलपुर | मुख्य अभियंता (चा.प्र.)<br>नगर विकास विभाग   | मुख्य अभियंता (चा.प्र.)<br>जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर   | नगर विकास<br>विभाग से<br>सेवा वापस<br>लेते हुए                                      |
| 5.      | श्री अजीत लुईस लकड़ा<br>(अ.ज.जा.) / 3864 /<br>25.08.61 / रॉची | मुख्य अभियंता (चा.प्र.)<br>जल संसाधन विभाग,<br>मेदिनीनगर   | मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में<br>सेवा नगर विकास विभाग को   |   |
| 6.      | श्री जलधर मंडल(अ.ज.जा.)<br>3892 / 28.10.62 /<br>भागलपुर       | मुख्य अभियंता (चा.प्र.)<br>जल संसाधन विभाग,<br>देवघर   | मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में<br>विभागीय मुख्यालय में योगदान<br>देगें।   |   |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड साज्यपाल के आदेश से,

  
 ( दिनेश उपाध्याय )  
 सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :— ३५५५ रॉची, दिनांक :— २३-७-१२  
प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

*Dheer*  
23.7.12  
( दिनेश उपाध्याय )  
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :— ३५५५ रॉची, दिनांक :— २३-७-१२  
प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सवारथ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब०, 7यो०, एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।
3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, उक्त पदाधिकारियों के (क्रमांक-06 को छोड़कर) माह अगस्त 2012 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

*Dheer*  
23.7.12  
( दिनेश उपाध्याय )  
सरकार के उप सचिव (प्र.)